

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून/दिनांक 15 फरवरी 2016 द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1	शिक्षण शुल्क	8000.00
2	छात्र निधि शुल्क	5000.00
1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
3	क्रीड़ा शुल्क	250.00
4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00
6	मेग्जीन शुल्क	100.00
7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
8	विद्युत शुल्क	1000.00
9	कॉसन मनी संस्थागत (refundable)	100.00
10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00
12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00
13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00
14	पुस्तकालय शुल्क	100.00

क्र० सं०	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
15	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
16	एन०सी०सी० शुल्क	100.00
17	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	छात्रावास शुल्क	4000.00
18	छात्रावास शुल्क	600.00
19	छात्रावास काशन मनी	200.00
20	छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
21	छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
22	बर्तन चन्दा	100.00
3	बोर्ड परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान) परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	राजकीय-500.0 निजी क्षेत्र-500.0 200.00
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्कूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर) (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	20.00 30.00
	पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

नोट: प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र-छात्रा का जीप-द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।